(4)

प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय) का कार्यालय, बेंगलूरु

सं.प्र.नि.ले.प.(कें.)/हिंदी/मु.नि./2023-24/151 दिनांक:27.02.2024

सेवा में

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ ई.डी.पी. एवं एच.के. अनुभाग,
प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय) का कार्यालय,
कर्नाटक, बेंगलूरु

विषय: मुख्यालय द्वारा राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित निरीक्षण के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

इस कार्यालय का राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित निरीक्षण 12.02.2024 व 13.02.2024 को मुख्यालय कार्यालय द्वारा किया गया तथा यह पाया गया कि कार्यालय में प्रयोग की जाने वाली 48 रबड़ की मुहरों में से 10 अंग्रेज़ी में हैं तथा 03 नामपट्ट अंग्रेज़ी में हैं। यह राजभाषा नियम 1976 (यथा संशोधित 1987) के अंतर्गत नियम 11 का उल्लंघन है। अतः 10 अंग्रेज़ी की मुहरों को द्विभाषी (पहले हिंदी, फिर अंग्रेज़ी) तथा 03 नामपट्टों को त्रिभाषी (क्षेत्रीय भाषा, हिंदी, अंग्रेज़ी क्रमवार) बनवाना सुनिश्चित करें तथा की गई कार्रवाई से हिंदी कक्ष/प्र.नि.ले.प.(कें.) को लिखित रूप में अवगत करवाएँ ताकि मुख्यालय द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन हो सके।

भवदीय,

27/2

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
प्रशासन/ प्र.नि.ले.प.(कें.)

प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय) का कार्यालय, बेंगलूरु

सं.प्र.नि.लेप.(कें)/राभा.अनु./स.राभा.स./2024-25/७ **दिनांक:-29.04.2024**

सेवा में

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ ई.डी.पी. एवं एच.के. स्कंध,
प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय) का कार्यालय,
कर्नाटक, बेंगलूरु

विषय: संसदीय राजभाषा समिति की निरीक्षण प्रश्नावली के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

संसदीय राजभाषा समिति की निरीक्षण प्रश्नावली के अनुपालन के संबंध में कंप्यूटर/लैपटॉप सुविधाएं तथा कार्यालय की वेबसाइट संबंधी जानकारी **निर्धारित प्रपत्र (संलग्न)** में भरकर यथाशीघ्र राजभाषा अनुभाग को प्रेषित करें।

इसके अतिरिक्त राजभाषा नियम 1976 के नियम 11 के अंतर्गत रबड़ की मुहरों को द्विभाषी (पहले हिंदी, फिर अंग्रेज़ी) तथा सभी नामपट्टों को त्रिभाषी (क्षेत्रीय भाषा, हिंदी, अंग्रेज़ी क्रमवार) बनवाना सुनिश्चित करें तथा की गई कार्रवाई से राजभाषा अनुभाग/प्र.नि.लेप.(कें.) को लिखित रूप में अवगत करवाएँ ताकि राजभाषा विभाग द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन हो सके।

यह प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय) के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

संलग्नक: उपरोक्त प्रपत्र

29/4/24

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
प्रशासन/ प्र.नि.लेप.(कें.)

29/4/24

वंदना.एस
29/4/24.

प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय) का कार्यालय, बेंगलूरु
OFFICE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR OF AUDIT (CENTRAL), BENGALURU

अनुस्मारक/REMINDER

सं.प्र.नि.लेप.(कें.)/राभा.अनु./सं.राभा.स./2024-25/59 दिनांक: 03.07.2024

सेवा में

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ईडीपी & एचके
प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय) का कार्यालय
कर्नाटक, बेंगलूरु

विषय: संसदीय राजभाषा समिति की निरीक्षण प्रश्नावली के अनुपालन के संबंध में
संदर्भ: राजभाषा अनुभाग द्वारा प्रेषित दिनांक 27.05.2024 का पत्र सं.प्र.नि.लेप.(कें.)/राभा. अनु./सं.राभा.स./2024-25/33

महोदय,

संदर्भाधीन पत्र का अवलोकन करें जिसके माध्यम से संसदीय राजभाषा समिति की निरीक्षण प्रश्नावली के अनुपालन के संबंध में कंप्यूटर/लैपटॉप सुविधाएँ तथा कार्यालय की वेबसाइट संबंधी जानकारी निर्धारित प्रपत्र में भरकर यथाशीघ्र राजभाषा अनुभाग को प्रेषित करने हेतु अनुरोध किया गया था।

इसके अतिरिक्त राजभाषा नियम 1976 के नियम 11 के अंतर्गत रबड़ की मुहरों को द्विभाषी (पहले हिंदी, फिर अंग्रेज़ी) तथा सभी नामपट्टों को त्रिभाषी (क्षेत्रीय भाषा, हिंदी, अंग्रेज़ी क्रमवार) बनवाना सुनिश्चित करने तथा की गई कार्रवाई से राजभाषा अनुभाग/प्र.नि.लेप.(कें.) को लिखित रूप में अवगत करवाने हेतु भी अनुरोध किया गया था।

इस संबंध में सूचित किया जाता है कि उपर्युक्त जानकारी अभी तक राजभाषा अनुभाग.प्र/नि. लेप (.कें).को प्राप्त नहीं हुई है सूचना यथाशीघ्र)भेजने हेतु अनुरोध किया गया था ।(अतः पुनः अनुरोध है कि इस अनुस्मारक की प्राप्ति के बाद 07 दिनों के अंदर उक्त सूचना भेजने की कृपा करें।

संलग्न: यथोपरि.

3/7

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशासन
प्र.नि.लेप.(कें.), बेंगलूरु

0132
पृ-1 पृ - 135

प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय) का कार्यालय, बेंगलूरु
OFFICE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR OF AUDIT (CENTRAL), BENGALURU

अनुस्मारक-II/REMINDER-II

सं.प्र.नि.लेप.(कें.)/राभा.अनु./सं.राभा.स./2024-25/70 दिनांक: 24.07.2024

सेवा में

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ईडीपी & एचके
प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय) का कार्यालय
कर्नाटक, बेंगलूरु

विषय: संसदीय राजभाषा समिति की निरीक्षण प्रश्नावली के अनुपालन के संबंध में

संदर्भ: 1. राजभाषा अनुभाग द्वारा प्रेषित दिनांक 27.05.2024 का पत्र सं.प्र.नि.लेप.(कें.)/राभा. अनु./सं.राभा.स./2024-25/33

2. राजभाषा अनुभाग के दिनांक: 03.07.2024 का अनुस्मारक: सं.प्र.नि.लेप.(कें.)/राभा. अनु./सं.राभा.स./2024-25/59

महोदय,

संदर्भाधीन पत्रों का अवलोकन करें। संदर्भाधीन पत्र सं.1 के माध्यम से संसदीय राजभाषा समिति की निरीक्षण प्रश्नावली के अनुपालन के संबंध में कंप्यूटर/लैपटॉप सुविधाएँ तथा कार्यालय की वेबसाइट संबंधी जानकारी निर्धारित प्रपत्र में भरकर यथाशीघ्र राजभाषा अनुभाग को प्रेषित करने हेतु अनुरोध किया गया था।

इसके अतिरिक्त राजभाषा नियम 1976 के नियम 11 के अंतर्गत रबड़ की मुहरों को द्विभाषी (पहले हिंदी, फिर अंग्रेज़ी) तथा सभी नामपट्टों को त्रिभाषी (क्षेत्रीय भाषा, हिंदी, अंग्रेज़ी क्रमवार) बनवाना सुनिश्चित करने तथा की गई कार्रवाई से राजभाषा अनुभाग/प्र.नि.लेप.(कें.) को लिखित रूप में अवगत करवाने हेतु भी अनुरोध किया गया था।

सूचना यथासमय प्राप्त न होने के कारण दिनांक 03.07.2024 को व.लेप.अ./ई.डी.पी. & एच.के. को संबोधित एक अनुस्मारक जारी किया गया था जिसमें सूचना भेजी जाने हेतु 07 दिनों का अतिरिक्त समय दिया गया था (संदर्भाधीन पत्र सं.2 का अवलोकन करें)।

किंतु, उसके बाद भी उपर्युक्त जानकारी अभी तक राजभाषा अनुभाग/प्र.नि.लेप.(कें.) को प्राप्त नहीं हुई है। अतः पुनः अनुरोध किया जाता है कि इस अनुस्मारक-II की प्राप्ति के बाद 07 दिनों के अंदर उक्त सूचना भेजने की कृपा करें।

ओइन २नि. २५/०७/२५
वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशासन
प्र.नि.लेप.(कें.), बेंगलूरु

संलग्नक: यथोपरि.